भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
27.11.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 347 का उत्तर

कानपुर-फर्रुखाबाद रेलवे लाइन के अंतर्गत ककबन रोड पर ओवर ब्रिज का निर्माण

347. अशोक कुमार रावत:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानपुर-फर्रुखाबाद रेलवे लाइन पर बिल्हौर तहसील के अंतर्गत ककवन रोड पर रेलवे क्रासिंग संख्या-64 पर लंबे समय से जनता की मांग पर ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा कोई सर्वेक्षण/परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस कार्य को शुरू करने और पूरा करने के लिए तय की गई समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): भारतीय रेल में समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुल के कार्यों को स्वीकृति प्रदान करना सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को गाड़ी परिचालन में संरक्षा, गाड़ियों की गतिशीलता और सड़क उपयोगकर्ताओं पर प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है और शुरु किए जाते हैं।

राज्य सरकारों, संसद सदस्यों, निर्वाचित प्रतिनिधियों, रेलवे की अपनी आवश्यकताओं, संगठनों/रेल उपयोगकर्ताओं आदि द्वारा रेलवे बोर्ड, क्षेत्रीय रेलवे, मंडल कार्यालय आदि सहित विभिन्न स्तरों पर ऊपरी सड़क पुलों/निचले सड़क पुलों (आरओबी/आरयूबी) के लिए औपचारिक और

अनौपचारिक दोनों तरह के प्रस्ताव/अनुरोध/सुझाव/अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। चूंकि ऐसे प्रस्ताव/शिकायतों/सुझावों की प्राप्ति एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे अनुरोधों का केंद्रीकृत सार-संग्रह नहीं रखा जाता है। बहरहाल, इनकी जांच की जाती है और समय-समय पर व्यवहार्य और औचित्यपूर्ण पाए जाने पर कार्रवाई की जाती है।

मांग किए गए स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण के लिए तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

*****